माघ मेला : 31 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी

पौष पूर्णिमा पर रिकॉर्ड भीड़, 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात

प्रयागराज, 3 जनवरी. संगम की सुनहरी रेती पर श्रद्धा और विश्वास का विराट दृश्य और भव्य आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है.

गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन मिलन स्थल पर माघ मेले का दिव्य शुभारंभ होते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर शाम 7 बजे तक 31 लाख श्रद्धालु पुण्य की डुबकी अब तक लगा चुके हैं. 44 दिनों तक चलने वाला यह माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा है. कड़ाके की ठंड, गंगा की लहरें और अपार आस्था—शनिवार को उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा.पहले ही दिन 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया हरिद्वार में माघ पूर्णिमा स्नान ने जहां हरकी पैड़ी को श्रद्धा से भर दिया, वहीं प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला 2026 का भव्य आगाज़ हुआ. संगम तट पर लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था में पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. मेला प्राधिकरण के अनुसार, पहले दिन कुल 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इसी बीच पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत दो फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया.

बस्तर रेंज में मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर

बीजापुर/सुकमा, 03 जनवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियानों के अंतर्गत शनिवार को सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता प्राप्त की. यहां मुठभेड़ के दौरान 14 माओवादियों को ढेर कर दिया है.

बीजापुर एवं सुकमा जिलों के दक्षिणी क्षेत्रों में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ों में कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. बस्तर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण बस्तर क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीमें सर्च ऑपरेशन पर रवाना की गई थीं. बीजापुर जिले में शनिवार सुबह लगभग पांच बजे से डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ शुरू हुई, जो लंबे समय तक जारी रही. वहीं सुकमा जिले में भी सुबह करीब आठ बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी चालू है. इन कार्रवाइयों में बीजापुर जिले से दो तथा सुकमा जिले से 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए, इस तरह कुल 14 माओवादी मारे जा चुके हैं. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थलों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं. इनमें अत्याधुनिक एके-47, इंसास और एसएलआर राइफलें शामिल हैं. बरामद हथियारों और अन्य नक्सली सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है.

संकट में भारतीय फुटबॉल : केजरीवाल

फीफा को लेकर पूर्व सीएम का तंज, सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 03 जनवरी. भारतीय फुटबॉल में चल रहे प्रशासनिक संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने खिलाड़ियों द्वारा फीफा के तहत अपील किए जाने के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि जब खिलाड़ियों को अपने ही खेल को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, तो यह वर्षों से चले आ रहे कुप्रबंधन और उपेक्षा का प्रमाण है.

> उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का फीफा और सरकार से अपील करना इस बात का संकेत है कि देश में फुटबॉल का संचालन सही दिशा में नहीं हो रहा है. केजरीवाल के मुताबिक, यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों के कुप्रबंधन, जवाबदेही की कमी और खिलाड़ियों की अनदेखी का नतीजा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खेल को राजनीति और सत्ता संघर्ष से दूर रखने की जरूरत है. केजरीवाल ने जोर दिया कि भारतीय फुटबॉल को पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेही और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है, न कि ऐसे हालात, जहां खिलाड़ी खुद को असहाय महसूस करें. पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशंसक एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं. उन्होंने संकेत दिया कि अगर समय रहते सुधार नहीं किए गए.

केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारतीय फुटबॉल प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उनके बयान ने खेल जगत के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी नई बहस छेड़ दी है. अरविन्द केजरीवाल ने अपने पोस्ट में भारतीय फुटबॉल की मौजूदा स्थिति को नाजुक मोड़ पर खड़ा बताया.

आज का इतिहास

1604 - शहजादा सलीम की बगावत नाकाम होने के बाद उन्हें बादशाह अकबर के सामने में पेश किया गया.
1643 - इंग्लैंड के महान भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन का जन्म.
1809 - दृष्टिहीनों को पढ़ने-लिखने में मदद देने वाली लिपि के आविष्कारक
1906 - प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी.
1931 - निरुपा रॉय - प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थीं.
1948 - दक्षिण पूर्व एशियाई देश बर्मा (म्यांमार) को ब्रिटेन से आजादी मिली.

अश्लील कंटेंट पर एक्स की मुश्किलें बढ़ीं

नई दिल्ली, 3 जनवरी. एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स एक बार फिर विवादों में घिर गई है. भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म पर फैल रहे अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट को लेकर सख्त रुख अपनाया है. एआई टूल ग्रोक के जरिए बनाए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए केंद्र ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. आदेश की अनदेखी करने पर एक्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने एलन मस्क की कंपनी एक्स को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 जनवरी को जारी आदेश में कहा है कि एक्स के एआई एप ग्रोक के माध्यम से तैयार की गई.

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा नोटिस

जबकि, अद्योहस्ताक्षरकर्ता **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP23-24014722, श्री पंकज परमार पुत्र श्री जगन्नाथ (ऋणी), श्रीमती ज्योति जटवा (सहऋणी), श्री महेश परमार (सहऋणी)	16-10-2025 Rs. 26,91,152.62 छब्बीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ बावन रूपये एवं बासठ पैसे मात्र 08-10-2025 तक	श्री पंकज परमार पुत्र श्री जगन्नाथ की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 76,ग्राम बिचोली मरदाना, टेकडी, बिचोलीमरदाना, इन्दौर, तहसील एवं जिला इन्दौर मप्र 452006, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट,उत्तर: गणेश पुत्र जगदीश चन्द का मकान, दक्षिण: जादौन जी का मकान, पूर्व: रोड, पश्चिम: जगदीश कामकान	29-12-2025
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25025726, श्री विनोद (ऋणी), श्रीमती संगीता (सहऋणी)	16-10-2025 Rs. 9,59,982.00 नौ लाख उनसठ हजार नौ सौबयासी रूपये मात्र 08-10-2025 तक	श्रीमति संगीता की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 50 का उत्तरी भाग, पटवारी हलका नं. 58/117, सर्वे नं. 56/2/2, वार्डनं. 28, ग्राम बागदून, तहसील एंव जिला धार, मप्र 454774 क्षेत्रफल 480 वर्गफीट, उत्तर: प्लॉट नं. 51, दक्षिण: प्लॉट नं. 50 का शेष भाग, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. 41	29-12-2025

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8)के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड" के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 03.01.2026 स्थान: इन्दौर, मप्र, प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

125 साल के बाद लौटी भारत की विरासत : मोदी

महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, पीएम ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन

नई दिल्ली, 3 जनवरी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो स्थल हैं, उनका संरक्षण और विकास करना सरकार की प्राथमिकता है.

वह महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के यहां आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने कहा कि सवा सौ साल के इंतजार के बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ी भारतीय धरोहर और विरासत वापस लौटी है और अब भारतीय जनमानस इन पवित्र अवशेषों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद पा सकेगा. उनका कहा कि 2026 की शुरुआत में ही यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायक अवसर है कि उनके पहले सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध के चरणों से हो रही है.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

FINOVA CAPITAL

702, सातवी मंजिल, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नं. 13-14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राज

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना) (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 13 (12) के नियम (3) अधिनियम 2002 एवं सपठित नियमों के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में माँग सूचना दिनांक 16.10.2025 को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **गजराज सिंह पुत्र शंकर सिंह, श्रीमती विष्णु कुंवर पत्नी गजराज सिंह, राहुल धनगढ पुत्र राम सिंह धनगढ,** से नोटिस में वर्णित राशि 20,16,505/- **(बीस लाख सोलह हजार पांच सौ पांच रुपये मात्र)** कुल देय राशि 10.10.2025 तक ब्याज के साथ को इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 30 दिसम्बर वर्ष 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार रूपये 20,94,700/- कुल देय राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि **फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीच नं. 57 ग्राम कनाडिया तहसीलल कलापीपल, जिला शाजापुर, मप्र कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट, जो कि गजराज सिंह के स्वामित्व में है सीमाएं: पूर्वः रामप्रसाद का मकान, पश्चिमः जयराज सिंह का मकान, उत्तरः रोड, दक्षिणः नाला

दिनांक : 30.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : शाजापुर, मप्र फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

FINOVA CAPITAL

702, सातवी मंजिल, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नं. 13-14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राज

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना) (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 13 (12) के नियम (3) अधिनियम 2002 एवं सपठित नियमों के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में माँग सूचना दिनांक 16.10.2025 को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **रघुवीर सिंह राजपूत पुत्र भवानी सिंह राजपूत, श्रीमती नानी बाई पत्नी भवानी सिंह, श्रीमती जेन कंवर राजपूत पत्नी रघुवीर सिंह राजपूत, श्री गोपाल सिंह पुत्र पर्वत सिंह,** से नोटिस में वर्णित राशि 20,02,214/- **(बीस लाख दोहजार दो सौ चौदह रुपये मात्र)** कुल देय राशि 10.10.2025 तक ब्याज के साथ को इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 30 दिसम्बर वर्ष 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार रूपये 20,87,551/- कुल देय राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि **फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 30, सर्वे नं. 188/2, ग्राम बरखेडा उदा, तहसील शामगढ, जिला मंदसौर, मप्र कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट, जो कि श्रीमती नानी बाई के स्वामित्व में है। सीमाएं: पूर्वः स्वयं की कृषि भूमि, पश्चिमः स्वयं की कृषि भूमि, उत्तरः रोड, दक्षिणः केसर सिंह की कृषि भूमि

दिनांक : 30.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मंदसौर, मप्र फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सी.टी./पी.टी.

विज्ञप्ति क्रमांक: 78 **निविदा सूचना** दिनांक: 2.12.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	1. टेंडर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_471930 31-12-2025	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 42 के अंतर्गत आने वाले शौचालय एवं मूत्रालय में आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु आवश्यक सिविल एवं रिपेयरिंग कार्य करना।	3 माह ₹4,90,492/-	₹2000/- ₹5,000/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
02	2025_UAD_471931 31-12-2025	स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 22 के अंतर्गत स्थित समस्त सी.टी./पी.टी. में संधारण एवं आवश्यक कार्य करने बाबद।	3 माह ₹9,83,775/-	₹2000/- ₹9,900/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
03	2025_UAD_471933 31-12-2025	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 03 के अंतर्गत आने वाले समस्त सी.टी./पी.टी. एवं शौचालयों में आवश्यक संधारण कार्य करने बाबद।	3 माह ₹17,93,620/-	₹2,000/- ₹8,000/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
04	2025_UAD_471934 31-12-2025	झोन क्र. 15 वार्ड क्र. 83 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय, मूत्रालयों में आवश्यक सिविल कार्य करने बाबद।	3 माह ₹8,71,900/-	₹2,000/- ₹8,800/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
05	2025_UAD_471935 31-12-2025	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 38 के अंतर्गत आने वाले शौचालय एवं मूत्रालयों में रंगाई-पुताई एवं आवश्यक संधारण कार्य करना।	3 माह ₹4,68,920/-	₹2,000/- ₹4,700/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
06	2025_UAD_471936 31-12-2025	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 40 के अंतर्गत आने वाले शौचालय एवं मूत्रालय में आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु आवश्यक सिविल एवं रिपेयरिंग कार्य करना।	3 माह ₹5,72,942/-	₹2,000/- ₹5,800/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
07	2025_UAD_471937 31-12-2025	झोन क्र. 21 वार्ड क्र. 73 के अंतर्गत आने वाले सी.टी./पी.टी., युरिनल में आवश्यक सिविल कार्य एवं रिपेयरिंग कार्य करना।	3 माह ₹7,48,799/-	₹2,000/- ₹7,500/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
08	2025_UAD_471938 31-12-2025	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 अंतर्गत आने वाले समस्त सी.टी./पी.टी. मे मरम्मत कार्य करना एवं आवश्यक सिविल कार्य करना।	3 माह ₹4,98,744/-	₹2,000/- ₹5,000/-	15-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 16-01-2026
09	2025_UAD_471939 31-12-2025	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 69 के अंतर्गत भक्त प्रहलाद नगर में मूत्रालय का निर्माण करना।	4 माह ₹12,23,076/-	₹2,000/- ₹9,200/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
10	2025_UAD_471940 31-12-2025	झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 36 के अंतर्गत आने वाले सी.टी./पी.टी. व युरिनल में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य करने बाबद।	4 माह ₹10,36,916/-	₹2,000/- ₹7,800/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
11	2025_UAD_471941 31-12-2025	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 69 के अंतर्गत विजय चाट हाउस के सामने आदर्श मूत्रालय का निर्माण करने हेतु।	4 माह ₹12,33,990/-	₹2,000/- ₹9,300/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
12	2025_UAD_471942 31-12-2025	वर्ष 2025-26 झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 31 के अंतर्गत आने वाले सी.टी./पी.टी. व युरिनल में आवश्यक मरम्मत एवं सधारण कार्य करने बाबद।	4 माह ₹10,31,116/-	₹2,000/- ₹7,800/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
13	2025_UAD_471943 31-12-2025	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 69 के अंतर्गत आने वाले पब्लिक युरिनल एवं सार्वजनिक शौचालय में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य करने बाबद।	6 माह ₹25,73,447/-	₹5,000/- ₹19,400/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
14	2025_UAD_471944 31-12-2025	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 70 के अंतर्गत पब्लिक युरिनल एवं सार्वजनिक शौचालय में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य करने बाबद।	4 माह ₹10,61,772/-	₹2,000/- ₹8,000/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
15	2025_UAD_471945 31-12-2025	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 61 के अंतर्गत आने वाले यूरिनल (सी.टी./पी.टी.) में आवश्यक संधारण कार्य करना।	4 माह ₹11,27,474/-	₹2,000/- ₹8,500/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026
16	2025_UAD_471946 31-12-2025	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 69 के अंतर्गत आने वाले झोनल कार्यालय के पीछे आदर्श मूत्रालय का निर्माण करना।	4 माह ₹12,45,270/-	₹2,000/- ₹9,400/-	29-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-01-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
सी.टी./पी.टी.
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्याः LNMEUJN000120275 (पुराना) 80300005891559 (नया) (उज्जैन शाखा) श्री सोदन सिंह (ऋणकर्ता) श्रीमती फुन्दा बाई (सह-ऋणकर्ता)	09.12.2025 रु. 27,32,433/- (03.12.2025 तक)	प्लॉट संख्या 81-के पर स्थित आवासीय संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 2142 वर्ग फुट (अर्थात 199.07 वर्ग मीटर) है, ग्राम - हिंदोलिया, पी.एच. संख्या 07, तहसील - सांवेर, जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश 453551, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में श्री टिकाराम का मकान, पश्चिम में कॉमन रोड, उत्तर में श्रीमती कालाबाई का मकान, दक्षिण में कॉमन रोड।
2.	(ऋण खाता संख्याः LNMESD1000146041 (पुराना) 80300005838071 (नया) (सनावाद शाखा) LNMEIN1000099435 (पुराना) 80300005660892 (नया) (इंदौर शाखा) श्री साजिद खान (ऋणकर्ता) श्रीमती रुबाना खान (सह-ऋणकर्ता)	09.12.2025 रु. 20,18,186/- (03.12.2025 तक)	मध्य प्रदेश 451228 के पश्चिम निमार जिले के कसरावद तहसील के पीपलगोन ग्राम पंचायत के पटवारी हल्का क्रमांक 70 में स्थित मकान क्रमांक 370, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है, सहित वह आवासीय संपत्ति, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, की सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में मंसूर खान का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सड़क और दक्षिण में धर्मेंद्र वर्मा का मकान।
3.	(ऋण खाता संख्याः LNMERTL000084754 (पुराना) 80400005808440 (नया) (रतलाम शाखा) श्री नरेंद्र पाटीदार (ऋणकर्ता), श्रीमती अनीता पाटीदार (सह-ऋणकर्ता)	08.12.2025 रु. 38,98,507/- (03.12.2025 तक)	मध्य प्रदेश -456776, जिला उज्जैन, तहसील बड़नगर, माधोपुरा, सर्वे संख्या 31/3, पटवारी हल्का संख्या 18 में स्थित दुकान/गोदाम का वह पूरा टुकड़ा/गोदाम, जिसका क्षेत्रफल 1260 वर्ग फुट (अर्थात 117.14 वर्ग मीटर) है, निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ हैः उत्तरः डॉ. मेहता का अस्पताल, दक्षिणः सरला कुंवर की संपत्ति, पूर्वः रुनिजा-बड़नगर रोड, पश्चिमः समीरमल की दुकान।
4.	(ऋण खाता संख्याः LNMESD1000154331 (पुराना) 80300005838940 (नया) (सनावाद शाखा) श्री जीवन जाट (ऋणकर्ता) श्रीमती रीना जाट (सह-ऋणकर्ता)	08.12.2025 रु. 20,08,129/- (03.12.2025 तक)	पटवारी हल्का क्रमांक 29, आबादी खसरा क्रमांक 155 में स्थित भूमि और भवन सहित वह संपत्ति, जिसमें एक पक्का मकान भी शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3300 वर्ग फुट (अर्थात 306.69 वर्ग मीटर) है, ग्राम कटकुट, तहसील बरवाह और जिला खरगोन, मध्य प्रदेश-451115 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः सूरजप्रताप जाट और श्यामलाल कान्हाजी का मकान, दक्षिणः बाबूलाल रामचरण कान्हाजी का मकान और मंदिर की भूमि, पूर्वः हेमू कान्हाजी का मकान, पश्चिमः साझा सड़क।
5.	(ऋण खाता संख्या) LNMEIN1000075540 (पुराना) 80400005656333 (नया) LNMEIN1000126634 (पुराना) 80300005666905 (नया) (इंदौर 1 शाखा) श्री हीरालाल पुत्र सिताराम उपनाम श्री हीरालाल दोगायन (उधारकर्ता) श्रीमती ममता बाई, श्रीमती रोशनी, श्री रामकृष्ण पुत्र श्री हीरालाल दोगायन (सह-उधारकर्ता)	09.12.2025 रु. 29,29,255/- (03.12.2025 तक)	मकान संख्या 207, क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (74.34 वर्ग मीटर), वार्ड संख्या 04, पटवारी हल्का संख्या 06, ग्राम - रहाद कोट, तहसील सनावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश 451113, की सभी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में रामेश्वर पुत्र केशव जी का मकान, पश्चिम में सोमनाथ पुत्र ईश्वर का मकान, उत्तर में ओमप्रकाश पुत्र मिश्री लाल का मकान और दक्षिण में साझा सड़क।
6.	(ऋण खाता संख्याः LNMEIN3000160524 (पुराना) 80300005757974 (नया) LNMEIN3000111648 (पुराना) 80300005748620 (नया) (इंदौर शाखा) श्री हबीब पुत्र आजम (ऋणकर्ता) श्रीमती अकिला बी उर्फ अकिला बाई पत्नी हबीब (सह-ऋणकर्ता)	08.12.2025 रु. 83,43,541/- (04.12.2025 तक)	मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के गौतमपुरा जिले के धर्मात गांव में स्थित 9580 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी भूमि का क्षेत्रफल सर्वे संख्या 546/3, 546/4, 552/1/मिन-2, पी.एच. संख्या 03 (नया नंबर 08) है, की सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में श्री भवार सिंह का मकान, पश्चिम में तोसिब की गली, उत्तर में श्री आजम की भूमि और दक्षिण में मुख्य सड़क।
7.	(ऋण खाता संख्या) LNMEMND000085666 (पुराना) 80400005883909 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री दीपक राठौड़ पुत्र भवानी शंकर (उधारकर्ता) श्री भवानी शंकर साहू पुत्र गजानंद साहू, श्रीमती हेमलता साहू पत्नी दीपक साहू, श्रीमती सुमित्रा साहू पत्नी प्रभु लाल जी (सह-उधारकर्ता)	08.12.2025 रु. 27,96,254/- (04.12.2025 तक)	राजस्थान-312605 के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील के रुघनाथपुरा गांव में स्थित प्लॉट संख्या 11, अराजी संख्या 17, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट वाली वह संपत्ति, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, निम्नलिखित सीमाओं से घिरी हुई हैः उत्तरः कैलाश जी तेली का घर, दक्षिणः दिलीप जी पालीवाल का घर, पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः श्री कृष्ण कुमार शुक्ला का घर।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः खरगोन, इंदौर, उज्जैन
दिनांकः 04/01/2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए